डा0सुरेन्द्र मोहन
सदस्य-।

अ० शा० पत्र सं० 1774-18/5/2-संग्रह-

राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश,
अनुभाग-2, लखनऊ

दिनांक 18-2-1995

प्रिय महोदय,

वित्तीय संसाधन जुटाने में राजकीय देयों की वसूली के महत्व से आप भली भाँति अवगत हैं। राज्य के वित्तीय संसाधनों का एक बड़ा भाग राजकीय देयों की वसूली से प्राप्त होता है। राजकीय देयों की वसूली को पूर्ण मनोयोग से करने हेतु मेरे एवं मा0 अध्यक्ष महोदय के स्तर से समय समय पर आपको निर्देश निर्गत किये गये हैं परन्तु राजकीय देयों की वसूली की दयनीय स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्देशों का जनपद स्तरपर भलीभाँति अमल नहीं किया गया है।

इस समय शान्ति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है सूखा एवं बाढ़ जैसी कोई दैवी आपदा भी नहीं है। राजकीय देयों की वसूली का यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है। अस्तु आपसे अपेक्षा की जाती है कि मुख्य देय व विविध देय की शुद्ध मांग की शत प्रतिशत वसूली हेतु एकसार्थक अभियान आयोजित करें एवं पूर्ण मनोयोग एवं सतत् प्रयासरत रहते हुए क्रियान्वित करें।

विविध देयों की मांग निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सामान्य देयों में 15 दिसम्बर व बिक्रीकर देयों में 15 फरवरी के बाद प्राप्त मांग को कुल मांग में सम्मिलित किया जाए। 15 दिसम्बर/15 फरवरी के बाद प्राप्त मांग के कालम में वही मांग दर्शायी जाए जो इन देय तिथियों के बाद प्राप्त हुयी है और वसूल नहीं हुई है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ जनपदों में 15 दिसम्बर के बाद प्राप्त मांग की वसूली कर ली जाती है और उसे शुद्ध मांग में शामिल न कर उसे स्थान के कालम "15 दिसम्बर के बाद प्राप्त मांग" में दर्शाया जाता है यह स्थिति उचित नहीं है। व्यापार कर की भाँति विद्युत देय, बैंक ऋण, उत्तर प्रदेश वित्त निगम व अन्य निगम की मांग का मिलान/समायोजन सम्बन्धित विभागों से एक अभियान चला कर करायें एवं सत्यापित मांग को ही विविध देय के मासिक विवरण में दर्शायें।

स्थगित धनराशि/वसूली अयोग्य धनराशि प्रकरणों का भलीभाँति परीक्षण किया जाए। न्यायालय द्वारा स्थगित मांग यदि वसूली की प्रक्रिया के

.....2

(एम० इफ्तखारुद्दीन)
जिलाधिकारी
सुल्तानपुर
1/3/95

ADM (F/A)

CRA

ADM (F/A)
4-3-95

तो उसे सम्बन्धित विभागों को वापस कर दिया जाए। सम्बन्धित विभाग स्वयं स्थान निरस्त हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। अन्यथा रूप से सही मांग विवरण करने का दायित्व जनपद के कलेक्टर का है इस दायित्व के निर्वहन के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें।

10 प्रतिवेदन संयुक्त व्यय वित्त विभागों से नहीं मिला उसके लिये भी आवश्यक कार्यवाही की जाए और उसे वसूल किया जाए।

बड़े बकायेदारों का जनपद स्तर पर वसूली तैयार की जाए। जिलाधिकारी एक लाख से बड़े बकायेदारों, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व पचास हजार से एक लाख तक के बकायेदारों, उपजिलाधिकारी 20 हजार से 50 हजार तक के बकायेदारों एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार 20 हजार से कम के बकायेदारों के विरुद्ध वसूली अभियान चलाकर शीघ्र राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

मुख्य एवं विविध देय का माह नवम्बर, 94 व दिसम्बर, 94 का मासिक विवरण परिषद को अविलम्ब उपलब्ध करायें।

मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा कि राजकीय देयों की वसूली के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है इसके लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम बनाकर वसूली अभियान चलाया जाए। अपर जिलाधिकारी, परगनाधिकारी, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार को भी वसूली की गति बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए एवं वसूली की प्रगति को ध्यान में रखते हुए इनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अंकन भी किया जाए। कृपया अपने स्तर पर देयों की वसूली की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करने की व्यवस्था करें। राजकीय देयों की वसूली की मासिक प्रगति से अपने मण्डलीय आयुक्त को भी अवगत करायें।

भवदीय,

(डा0 सुरेन्द्र मोहन)

✓ समस्त जिलाधिकारी (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0 व दिनांक उपरोक्त

प्रिय महोदय,

[illegible]

भूमिका निभायेंगे। [illegible]
वसूली में उनके द्वारा
आप अपने स्तर पर [illegible]
से परिषद को भी अ[illegible]

समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।